



संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्र./एन.पी.एस./2017/3253

भोपाल, दिनांक 23.03.17

प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत लंबित अंतिम भुगतान प्रकरणों को निराकृत कराने ब्रावत् ।

--00--

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि एन.एस.डी.एल. द्वारा दिनांक 23.02.2017 को ई-मेल से अवगत कराया गया है कि संबंधित कोषालयों के ऑफलाइन प्रेषित 204 प्रकरण (25 सेवानिवृत्त, 52 सेवात्याग एवं 127 मृत्यु) तथा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दर्ज 05 प्रकरण (3 सेवानिवृत्त एवं 2 मृत्यु) में प्रपत्रों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में सी.आर.ए. में लंबित है ।

अतः आपके कोषालय से संबंधित लंबित अंतिम भुगतान प्रकरणों (सूची वेबसाइट www.pension.mp.gov.in में उपलब्ध है) में पूर्ण कटौतों के जमा परीक्षण हेतु SOT मिलान उपरांत आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कराते हुए ऑनलाइन माध्यम से सी.आर.ए. भेजा जाना सुनिश्चित करें।


संज्ञांक 23/3/17

पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र.
भोपाल, दिनांक

क्र./एन.पी.एस./2017/

प्रतिलिपि,

1. आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त संभागीय, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर सूचनार्थ ।
3. मेसर्स श्री चन्द्रशेखर तिलक, एगजीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट, टाइम्स टावर, कमला मिल्स कंपाउंड, एन.एस.डी.एल., प्रथम तल, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013


संचालक

पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र.